

संचालनालय आयुष, म०प्र०
(भू-काल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail: jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

—:विज्ञप्ति:-

नीट-2018 द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के आधार पर म०प्र० आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक प्रवेश नियम-2018 के अनुक्रम में प्रदेश के शासकीय (स्वशासी) एवं निजी आयुष महाविद्यालयों में प्रवेश अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण की आनलाईन काउंसिलिंग समाप्त होने के उपरान्त भारत सरकार आयुष मंत्रालय के निर्देश दिनांक 01/11/18 एवं डब्लू.पी. 29461/2018 माननीय उच्च न्यायालय खंड पीठ इंदौर के निर्देश दिनांक 24/12/18 के अनुक्रम में रिक्त सीटों की पूर्ति के लिये तृतीय चरण में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन/अभिलेख सत्यापन के पश्चात च्वाइस फीलिंग एवं सीट आवंटन का कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

1/ तृतीय चरण का काउंसिलिंग कार्यक्रम-

| | | |
|---|--|---|
| 1 | अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय तथा पाठ्यक्रमों का एचएसएमएल/बीएनवायएस की प्राथमिकता कम का निर्धारण (च्वाइस फीलिंग) | दिनांक 14/01/19 से 15/01/19 11:59 बजे तक |
| 2 | साइट आवंटन | दिनांक 17/01/19 |
| 3 | महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थाई प्रवेश की तिथि | दिनांक 18/01/19 से 20/01/19 11:59 बजे तक |

नोट:-

नोट:-

- 1- अभ्यर्थी प्रकाशित ऑनलाईन पंजीयन/अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम अनुसार प्रकाशित मैरिट सूची के आधार पर प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
- 2- उक्त प्रवेश पंजीयन/अभिलेख सत्यापन व प्रवेश कार्यक्रम डब्लू.पी. 29461/2018 में माननीय उच्च न्यायालय खंड पीठ इंदौर के निर्देश दिनांक 24/12/18 के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है।
- 3- उपरोक्त प्रवेश काउंसिलिंग में आयुष मंत्रालय भारत सरकार से प्रवेशानुमति प्राप्त व माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के अनुक्रम शासकीय (स्वशासी)/निजी आयुष महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जा रहा है।
- 4- अभ्यर्थियों को उक्त प्रवेश नियम के नियम-9.1 अनुसार सीट आवंटन का अवसर दिया जाएगा।
- 5- नियम, आवश्यक प्रमाण पत्र इत्यादि के लिए म०प्र० आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक प्रवेश नियम-2018 देखें जो www.ayush.mp.gov.in/ www.ayush.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।
- 6- प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश नियम-2018 में संलग्न फीस चार्ट के पूर्ण रूप से अध्ययन पश्चात् ही शासकीय (स्वशासी)/निजी महाविद्यालयों का चयन करें। चयन के उपरान्त यह माना जावेगा कि आपको संबंधित महाविद्यालय की प्रदर्शित फीस संरचना स्वीकार्य है।
- 7- मैरिट सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in / www.ayush.mponline.gov.in पर किया जावेगा। मैरिट सूची के आधार पर प्रवेश काउंसिलिंग का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
- 8- अभ्यर्थी महाविद्यालय आवंटित होने के उपरान्त प्रधानाचार्य से महाविद्यालय की निर्धारित फीस राशि की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर निर्धारित फीस का ड्राफ्ट बनवाकर/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी/ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से फीस जमा कर प्रवेश प्राप्त करें। बाद में फीस संबंधी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 9- प्रवेश के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आयुक्त संचालनालय आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।
- 10- विज्ञापन में वर्णित निर्धारित शेड्यूल की जानकारी संचालनालय आयुष म०प्र० भोपाल की वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in / www.ayush.mponline.gov.in पर भी उपलब्ध है। आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(डॉ० सतीश चन्द्र शर्मा)
प्रमुख संचालक
संचालनालय आयुष म०प्र०